राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा सूचना

क्रमांक : एसके/एचसी/2014–15/59 दिनांक : 15.05.2014

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय में लगे 10 सोफा सेट (3+1+1) की पूर्ण दुरूस्ती (जिसमें नमूनानुसार कपड़ा, फोम शीट इत्यादि का प्रयोग करते हुये), करने की दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदाएँ दिनांक 16.05.2014 से दिनांक 26.05.2014 तक प्रातः 11 बजे तक बेची जाकर दिनांक 27.05.2014 को प्रातः 10 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त निविदाएँ उसी दिन प्रातः 10.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर देखी जा सकेगीं। निविदा फार्म मय विवरण कार्यालय समय में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है ।

आज्ञा से,

15-5-14

रजिस्ट्रार (प्रशासन),

कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: सोफा सेट की दुरूस्ती हेतु निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते ::

1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 16.05.2014 से दिनांक 26.05.2014 को प्रातः 11 बजे तक कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते है।

2. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 27.05.2014 को प्रातः 10 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 27.05.2014 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी । विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी ।

3. सोफा सेट की दुरूस्ती का कार्य कार्यालय में ही किया जायेगा। निविदा प्रपत्र में सोफा सेट की दुरूस्ती में प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री जैसे कपड़ा, फोम इत्यादि (कार्यालय द्वारा स्वीकृत नमूनानुसार) गुणवता वाले प्रयुक्त किये जायेगा तथा उनका नमूना इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा यदि आप द्वारा एक या उससे अधिक प्रकार के नमूने प्रस्तुत किये जाते है तो उन्न सभी की दरें पृथक–पृथक रूप से स्पष्ट रूप से भरकर देनी होगी।

4. निविदादाता को अनुमानित क्रय राशि का 2 प्रतिशत रूपये कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में नगद रूप से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाई जायेगी । डिमाण्ड ड्राफ्ट **'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर'** के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा। इसी प्रकार कार्यादेश दिये जाने के तीन दिवस के भीतर दिये गये कार्यादेश की कुल कीमत का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी। जिसमें जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा।

5. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एव अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। कॉट–छाँट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के के व्यय जैसे – Tax, Handling Charges, Installation Charge, etc. भी सम्मिलित होने चाहिये ।

6. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। कार्य सन्तोषप्रद किये जाने एवं सम्बन्धित अनुभाग द्वारा उसके कार्य के भौतिक रूप से सत्यापित किये जाने के पश्चात ही सम्बन्धित फर्म को भुगतान देय होगा। कार्य आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा तथा उक्त कार्य अन्य किसी फर्म द्वारा करवाये जाने कर अंतर की राशि/ अधिक व्यय सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जाएगी ।

7. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा और न हीं कोई जिम्मेवारी होगी। किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने को पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।

8. निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाई, राजस्थान के अर्न्तगत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओ की निविदा दे सकती है। उनको धरोहर राशि जमा कराने की छूट का लाभ नियमानुसार देय होगा। किसी अन्य सप्लाई के लिए जमा धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा के पेटे नहीं किया जावेगा।

9. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।

10. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (प्रशासन),